राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या–2/2012–13

दिनांक : 08.06.2012

आयोग द्वारा विज्ञापित निम्नलिखित पदों हेतु कुल पद संख्या/आरक्षण संख्या में परिवर्तन के सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है–

विज्ञापन संख्या	पद क्रम संख्या	पद नाम/विषय	संशोधित पद
2/2011–12 दिनांक 13.05.2011	15	**वरिष्ठ प्रदर्शक–दन्त**	वर्तमान में 10 पदों के स्थान पर अब एक पद (अनारक्षित) रिक्त रह गया है।
विज्ञापन संख्या 2/2011–12 दिनांक 13.05.2011, विज्ञापन संख्या–3/2010–11 दिनांक 26.11.2010 एवं शुद्धि–पत्र संख्या 9/11–12 दिनांक 10.10.2011	12	**वरिष्ठ प्रदर्शक–माईक्रोबायोलोजी**	वर्तमान में निःशक्तजन LD&CP (OL) हेतु एक पद आरक्षित हो गया है।
	67	**सहायक आचार्य–ऑर्थोपेडिक्स (अस्थि रोग)**	वर्तमान में निःशक्तजन LD&CP (OL) हेतु एक पद आरक्षित हो गया है।

नोटः– विज्ञापन की अन्य शर्तें पूर्व घोषित संबद्ध विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेंगी।

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु आयोग कार्यालय में विशेष रूप से बनाए गए काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 145–5151200 एवं 5151240 से सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या– 2/2011–12

विज्ञापन संख्याः 2/संयुक्त विज्ञापन/भर्ती/2011–12 दिनांकः 13–05–2011

1. निम्नलिखित पद की भर्ती हेतु निर्धारित *ऑनलाइन आवेदन–पत्र (On-line Application Form)* पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैंः–

विशेष नोटः–(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
(2) आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशों में दर्शाई गई है जोकि नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. <u>आवेदन प्रक्रिया–</u> आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा **रुपये 40/– (रुपये 35/–** आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र **रुपये 5/–** ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन–लाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। <u>हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।</u>

चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य (Assistant Professor)/वरिष्ठ प्रदर्शक (Sr. Demonstrator) के पदों की राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई–स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	पद नाम/विषय	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्त जन	मेडिकल पर्सन्स हेतु आरक्षित पद	नॉन मेडिकल पर्सन्स हेतु आरक्षित पद
					अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		L.D.& C.P. (OL)		
			सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.			
	सहायक आचार्यः–												
1	सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	नियोनोटोलोजी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	यूरोलोजी	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	जनरल सर्जरी	33	17	6	3	-	1	-	5	1	1	-	-
5	एनाटोमी	6	3	1	1	-	-	-	1	-	-	4	2
6	मानसिक रोग (साइकाइट्री)	9	5	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
7	फोरेंसिक मेडिसिन	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>वरिष्ठ प्रदर्शकः–</u>												
8	एनाटोमी	10	4	1	3*	1	-	-	1	-	-	7	3
9	फिजियोलोजी	18	9	4	1	-	1	-	3	-	1	12	6
10	बायोकेमिस्ट्री	13	6	2	2	-	1	-	2	-	-	7	6
11	फार्माकोलोजी	11	5	1	-	-	3*	-	2	-	-	8	3

12	माइक्रोबायोलोजी	13	8	3	1	-	1	-	-	-	-	9	4
13	पैथोलोजी	27	12	4	2	-	3	1	4	1	1	-	-
14	कम्यूनिटी मेडिसिन (पी. एण्ड एस.एम.)	20	9	3	3	-	2*	-	3	-	-	-	-
15	दन्त	10	4	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-

संक्षिप्ताक्षर– सा.= सामान्य, म..= महिला

नोटः– (1) पदों का वर्गीकरण शासन के बताए अनुसार किया गया है।

(2) * वरिष्ठ प्रदर्शक–एनाटोमी, फार्माकोलोजी, कम्यूनिटी मेडिसिन के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक–एक पद बैकलॉग का पद है जो कि दिनांक 10.10.2002 के पश्चात् का है।

(3) एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलोजी, एवं माइक्रोबॉयोलोजी विषयों के पदों में Medical Persons /Non Medical Persons के पद भी आरक्षित है जोकि नियमानुसार भरे जा सकेंगे।

(4) उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए बैकलॉग/वर्तमान के आरक्षित पदों, जो कि दिनांक 10–10–02 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। बैकलॉग के पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जावेगा।

(5) <u>निःशक्त व्यक्तियों के लिए :–</u>

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

<u>Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)</u>

O.L.- One leg affected (R or L)

(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।

(द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

(6) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

<u>स्पष्टीकरणः</u>–किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन–क्रीमीलेयर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । **<u>पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा</u>।**

(7) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

(8) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

(9) <u>आवेदक को प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र भेजना आवश्यक है।</u>

<u>शैक्षणिक योग्यताएँः–</u>

<u>क्रम संख्या 1 के पद के लिए योग्यताएं</u> :–(i) एम.सीएच. (सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी)/एम.एस.(सर्जरी) साथ सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।

(iii) <u>अनुभवः</u>–मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोंस्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

<u>क्रम संख्या 2 के पद के लिए योग्यताएंः</u>– (i) डी.एम.(नियोनोटोलोजी ब्रेकर)/एम.डी..(पेडियाट्रिक्स) साथ नियोनोटोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।

(iii) <u>अनुभवः</u>–मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में नियोनोटोलोजी में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोंस्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

<u>क्रम संख्या 3 के पद के लिए योग्यताएं</u> :– (i) एम.सीएच. (यूरोलोजी) (ii)सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।

(iii) <u>अनुभवः</u>–मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोंस्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव परन्तु जिन्होंने दो वर्षीय डी.एम. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, के लिए अध्यापन अनुभव दो वर्ष का होगा ।

<u>क्रम संख्या 4 के पद के लिए योग्यताएं</u> :– (i) एम.एस.(सर्जरी)/एम.एस.(जनरल सर्जरी) ।

<u>क्रम संख्या 5 के पद के लिए योग्यताएं</u> :– (i) एम.एस. (एनाटोमी)/एम.डी. (एनाटोमी)/एम.बी.बी.एस. विद एम.एससी. (एनाटोमी)/

एम.एससी. (मेडि. एनाटोमी) विद पीएच.डी. (मेडि.एनाटोमी)/एम.एससी. (मेडि. एनाटोमी) विद डी.एससी. (मेडि. एनाटोमी)।

<u>क्रम संख्या 6 के पद के लिए योग्यताएं</u> :–(i) एम.डी.(साईकाईट्री)/एम.डी.(साईकोलोजिकल मेडि.)/एम.डी. मेडिसिन में साथ साईकोलोजिकल मेडि. में डिप्लोमा।

<u>क्रम संख्या 7 के पद के लिए योग्यताएं</u> :– (i) एम.डी.(फोरेंसिक मेडि.) ।

<u>क्रम संख्या 4 से 7 तक के पदों हेतु द्वितीय योग्यता एवं अनुभव</u> :–

(ii) संबंधित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड पोस्ट ग्रेज्युऐट क्वालीफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।

(iii) <u>अनुभव</u> :–मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

<u>क्रम संख्या 1 से 7 तक के पदों की योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक नोट</u>:–

आवेदकों को सम्बन्धित विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इडिण्या से मान्य अपेक्षित स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएँ अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएँ प्राप्त होनी चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।

<u>क्रम संख्या 8 के पद के लिए योग्यता</u> :– एम.बी.बी.एस./एम.एससी.(मेडिकल एनाटोमी) फॉर नॉन–मेडिकल पर्सन्स।

<u>क्रम संख्या 9 के पद के लिए योग्यता</u> :– एम.बी.बी.एस./एम.एससी.(मेडिकल फिजियोलोजी) फॉर नॉन–मेडिकल पर्सन्स।

<u>क्रम संख्या 10 के पद के लिए योग्यता</u> :– एम.बी.बी.एस./एम.एससी.(मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) फॉर नॉन–मेडिकल पर्सन्स।

<u>क्रम संख्या 11 के पद के लिए योग्यता</u> :– एम.बी.बी.एस./एम.एससी.(मेडिकल फार्माकोलोजी) फॉर नॉन–मेडिकल पर्सन्स।

<u>क्रम संख्या 12 के पद के लिए योग्यता</u> :– एम.बी.बी.एस./एम.एससी.(मेडि. माइक्रोबायोलोजी) फॉर नॉन–मेडिकल पर्सन्स।

<u>क्रम संख्या 13 एवं 14 के पदों के लिए योग्यता</u> :– एम.बी.बी.एस.।

<u>क्रम संख्या 15 के पद के लिए योग्यता</u> :– बी.डी.एस. प्रीफरेबली विद् एम.बी.बी.एस.।

<u>क्रम संख्या 8 से 15 तक के पदों की योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक नोट</u> :–

अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिये ।

<u>समस्त पदों की योग्यताओं के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा कि</u> :–

परन्तु यह कि उपरोक्त पदों की योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>:– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

3. <u>आयु</u> :–दिनांक 01–01–2012 को 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए सिवाय डी.एम./एम.सीएच. न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी लेकिन ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में :–

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :–

''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''

<u>स्पष्टीकरण</u> :

(i) आयोग द्वारा वर्ष 2008 में **सहायक आचार्य–यूरोलोजी** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2009 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) आयोग द्वारा वर्ष 2002 में **सहायक आचार्य–फोरेंसिक मेडिसिन एवं मानसिक रोग**, वर्ष 2003 में **सहायक आचार्य–एनाटोमी एवं** वर्ष 2005 में **सहायक आचार्य–जनरल सर्जरी** के पद विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(iii) आयोग द्वारा वर्ष 2005 में **वरिष्ठ प्रदर्शक–एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलोजी, माईक्रोबॉयलोजी, पैथालोजी, कम्यूनिटी मेडिसिन (पी.एण्ड एस.एम.) एवं दन्त के पद** विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

2. राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है।
3. ऊपर उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित पदों के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगी :–

(क) जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित हैं उन विषयों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सामान्य पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

(ख) जिन विषयों में सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हीं विषयों की सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट देय है परन्तु जिन विषयों में सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित नहीं है उन्हें आयु सीमा में इस छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट देय होगी और जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये पद आरक्षित नहीं है परन्तु जिन वर्गों के सामान्य पद आरक्षित हैं तो उन विषयों हेतु उन वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को केवल 5 वर्ष की छूट देय होगी तथा जिन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद एवं महिला के पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जाएंगे।
5. कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
6. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा जहां पद के लिये न्यूनतम अर्हता डी.एम./एम.सीएच. अपेक्षित है, के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

7. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
8. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
9. राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार इन सहायक आचार्य–जनरल सर्जरी तथा वरिष्ठ प्रदर्शक–फिजियोलोजी एवं पैथालोजी के पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से शिथिलीकृत किया जा सकेगाः–
(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष,
(ख) पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

<u>नोट</u>:– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान :–<u>क्रम संख्या 1 से 7 तक के पदों के लिये</u>:– रनिंग पे बेण्ड–3 (15600–39100) ,ग्रेड पे सं. 17(रू.6600/–)
<u>क्रम संख्या 8 से 15 के पदों के लिये</u>:–रनिंग पे बेण्ड–3 (15600–39100), ग्रेड पे सं.15 (रू. 5400/–)

''ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

<u>अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन</u> : नहीं । **<u>कार्य</u>** : शिक्षण एवं चिकित्सकीय कार्य। **परिवीक्षा काल : (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य <u>सुविधाएं</u>** : नियमानुसार। **<u>महंगाई भत्ता</u>** : नियमानुसार। **<u>मुख्यालय</u>** : राजस्थान राज्य के किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में। **<u>पेंशन</u>** :– दिनांक 01–01–2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. <u>अन्तिम दिनांक</u> :– 10 जून, 2011 को रात्रि 12–00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन–लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन–लाइन आवेदन करें।

5. <u>संवीक्षा परीक्षा का स्थान, माह एवं योजना</u> :–

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type) की होगी और अजमेर में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा तिथि/साक्षात्कार तिथि की सूचना भी शीघ्र जारी की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन–पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।

6. <u>परीक्षा शुल्क</u> :– आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क** या **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से आयोग को भेजें:–
(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 250/–**
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रूपये 150/–**
(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– **रूपये 50/–**

नोट :– 1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रूपये 40/– (रू. 35** आवेदन पत्र भरने हेतु + **रूपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं।
4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।
5. अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।

7. <u>आवेदन कैसे करें</u> :– अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
<u>नोट :–</u> राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

8. <u>अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में</u> :– सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

9. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :–
1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो,, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी ।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण–पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28)

6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किए गए ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन–पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

10. **अनुचित साधनों की रोकथामः** –परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।

11. **श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा** :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना–पत्र वांछित प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

12. कृपया ध्यान दें : –

i **On line Application Form** आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन–पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा **On line Application Form** में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ii आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **On line Application Form** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं **On line Application Form** भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

iii आयोग कार्यालय द्वारा **On line Application Form** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **On line Application Form** अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **On line Application Form** में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाएगा।

iv विज्ञापित पदों के विरूद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन–पत्र भेजकर भरवाया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन–पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किए जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

13. **प्रमाण–पत्रों का सत्यापन** :– आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे।) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :–

(अ) जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण–पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।

(द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।

(य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

<u>नोट</u> :– आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम **(Provisional)** रूप से प्रवेश दिया जाएगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश–पत्र/साक्षात्कार–पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

<u>आयोग की वेबसाइटः–</u>

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं संवीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145–5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

<u>विशेष टिप्पणी</u> :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित् नहीं की जा सकती है।

(5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(6) आयोग को आवेदन–पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :–

<u>सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026</u>.

(के.के. पाठक)
सचिव

<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>शुद्धि पत्र संख्या – 9/2011–12</u>

दिनांक : 10–10–2011

आयोग के विज्ञापन संख्या–2/2009–10 दिनांक 03.08.09, विज्ञापन संख्या–3/2010–11 दिनांक 26.11.2010 एवं विज्ञापन संख्या–2/2011–12 दिनांक 13.05.2011 तथा शुद्धि पत्र संख्या 1/2011–12 दिनांक 03.05.11 पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या वाले विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक के पद विज्ञापित किये गये थे, जिनके सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है किः–

1. शासन द्वारा उक्त पदों की कुल संख्या एवं आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन किये जाने के उपरान्त इन पदों की स्थिति अब निम्न प्रकार से हो गयी है :–

<u>विज्ञापन संख्या–2/2009–10 दिनांक 03.08.09 की निम्न पद क्रम संख्या वाले पदों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से है :–</u>

पद क्रम संख्या	पद का नाम/विषय	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्तजन LD &CP (O.L.)
					अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
40	<u>सहायक आचार्य</u> मेडिकल गैस्ट्रोऐन्ट्रोलोजी	7	3	1	1	-	1	-	1	-	-
43	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	39	16	6	4*	1	3*	1	6	2	2
44	पेडियाट्रिक्स (शिशु औषध)	34	14	6	4	1	3	-	5	1	2
49	<u>वरिष्ठ प्रदर्शक</u> फोंरेसिक मेडिसिन	10	4	1	2	-	1	-	2	-	1

<u>नोटः</u>–* सहायक आचार्य–आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजी के पदों में से राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्रमशः तीन–तीन पद बैकलॉग के पद हैं।

विज्ञापन संख्या–3/2010–11 दिनांक 26.11.2010 की निम्न पद क्रम संख्या वाले पदों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से है :–

पद क्रम संख्या	पद नाम/विषय	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		निःशक्तजन L.D. & C.P. (OL)
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
64	सहायक आचार्य– मेडिकल औंकोलोजी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	जनरल मेडिसिन	35	12	4	5	1	5	2	5	1	2
67	ऑर्थोपेडिक्स (अस्थिरोग)	24	12	5	1	-	2	-	3	1	-
68	निश्चेतन (एनेस्थेसियोलोजी)	35	15	6	4	1	2	-	5	2	2
69	फिजियोलोजी	4	2	-	1	-	-	-	1	-	-
70	ओटो–राईनो–लेरिंगोलोजी (नाक,कान व गला)	11	5	2	2	-	-	-	2	-	-

2. **विज्ञापन सं. 3/2010–11 में पदों की दर्शाई गई सारणी के नीचे अंकित नोट के बिन्दु संख्या 3 को अब निम्न प्रकार पढ़ा जावेः–** उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए (वर्तमान एवं बैकलॉग क) सभी आरक्षित पदों, जो कि दिनांक 10–10–02 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

विज्ञापन संख्या–2/2011–12 दिनांक 13.05.2011 की निम्न क्रम संख्या वाले पदों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से है :–

क्रम संख्या	पद नाम/विषय	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		निःशक्तजन L.D. & C.P. (OL)
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
3	सहायक आचार्य– यूरोलोजी	5	3	-	1	-	1	-	-	-	-
4	जनरल सर्जरी	40	19	7	5	1	2	-	5	1	1
7	फोरेंसिक मेडिसिन	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

नोटः– विज्ञापन संख्या 3/2010–11 दिनांक 26.11.2010 एवं विज्ञापन संख्या 2/2011–12 दिनांक 13.05.2011 में एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी, माईक्रोबायलोजी एवं बायोकेमिस्ट्री के विषयों में मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स के सम्बन्ध में उल्लिखित अभिव्यक्ति को अब इस प्रकार पढ़ा जावे और इन विषयों में मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स के बताए गये आरक्षित पदों को हटा हुआ समझा जावे तथा इन विषयों के सम्बन्ध में टिप्पणी अब निम्नानुसार पढ़ी जावे :–

(1) एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी एवं माईक्रोबायलोजी के विषयों के पदों में न्यूनतम 70 प्रतिशत मेडिको पर्सन्स के चयनोपरान्त शेष पदों पर मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का चयन मेरिट के आधार पर किया जा सकता है।

(2) इसी प्रकार बायोकेमिस्ट्री के विषय में नियमानुसार मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का अनुपात 50–50 प्रतिशत है। अतः उक्त पदों पहले न्यूनतम 50 प्रतिशत मेडिको पर्सन्स के चयनोपरान्त शेष पदों पर मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का चयन मेरिट के आधार पर किया जा सकता है।

3. विज्ञापन की अन्य शर्तें विज्ञापन संख्या–2/2009–10 दिनांक 03.08.09, विज्ञापन संख्या–3/2010–11 दिनांक 26.11.2010 एवं विज्ञापन संख्या–2/2011–12 दिनांक 13.05.2011 तथा शुद्धि पत्र संख्या 1/2011–12 दिनांक 03.05.11 के अनुसार यथावत होगी।

(डॉ.के.के. पाठक)
सचिव

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
विज्ञापन संख्या : 3/2010–11

विज्ञापन संख्या :– 3/संयुक्त विज्ञापन/भर्ती/2010–11 दिनांक : 26.11.2010

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न विषयों में **सहायक आचार्य (Assistant Professor)** के पदों की राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रान्च) नियम, 1962 के अन्तर्गत भर्ती हेतु निर्धारित **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** पर प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद स्थाई/अस्थाई–स्थाई होने की संभावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार से है :–

पद क्रम संख्या	पद नाम/विषय	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		निःशक्तजन L.D. & C.P. (OL)
			सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	
	सहायक आचार्य :–										
61	न्यूरोसर्जरी	4	2	–	1	–	1	–	–	–	–
62	शिशु शल्य (पेडियाट्रिक सर्जरी)	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
63	एण्डोक्रायनोलोजी	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
64	मेडिकल ओन्कोलोजी	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
65	माइक्रोबायोलोजी	2	1	–	1*	–	–	–	–	–	–
66	जनरल मेडिसिन	25	10	4	3	–	3	–	4	1	1

67	ऑर्थोपेडिक्स (अस्थिरोग)	14	7	2	2	–	1	–	2	–	–
68	निश्चेतन (एनेस्थेसियोलोजी)	6	3	–	1	–	1	–	1	–	1
69	फिजियोलोजी	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–
70	ओटो–राईनो–लेरिंगोलोजी (नाक, कान व गला)	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
71	ऑप्थलमोलोजी (नेत्ररोग)	9	5	1	1	–	1	–	1	–	–
72	फार्माकोलोजी	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
73	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–

<u>संक्षिप्ताक्षर :– </u>सा.– सामान्य, म.– महिला,

<u>विशेष नोट</u> :– (1) O.M.R. Application Form के कॉलम संख्या 2 में आवेदित पद की क्रम संख्या अवश्य अंकित करें। पद की क्रम संख्या गलत भरने पर अभ्यर्थी को उनके द्वारा O.M.R. Application Form में भरे गए पद की क्रम संख्या के विषय में प्रवेश दिया जाएगा और इस कॉलम को रिक्त छोड़ दिए जाने की स्थिति में उसकी O.M.R. Application Form रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। (2) O.M.R. Application Form के कॉलम संख्या 9 जोकि ऐच्छिक विषय से सम्बन्धित है, में ''00'' अंकित करें।

<u>नोटः–</u>

(1) ***सहायक आचार्य–माइक्रोबायोलोजी के पदों में अनुसूचित जाति का एक पद बैकलॉग का पद है जो कि दिनांक 10.10.2002 के पश्चात् का है।**

(2) फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी एवं माइक्रोबॉयोलोजी विषयों के पदों में से एक–एक पद Non Medical Persons से तथा शेष रिक्त पद Medical Persons से भरे जाएंगे।

(3) उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों, जो कि दिनांक 10–10–02 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(4) **<u>निःशक्त व्यक्तियों के लिए</u> :–**

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

<u>Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)</u>

O.L.- One leg affected (right or left)

(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।

(द) निःशक्तजन आवेदक O.M.R.Application Form के कॉलम संख्या 3 व 4 के यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

(5) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– (क) किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। (ख) विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **<u>पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा</u>।**

(6) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

(7) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

(8) **आवेदक को प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र भेजना आवश्यक है।**

2. <u>शैक्षणिक योग्यताएँ</u> <u>(समस्त पदों हेतु आवश्यक योग्यताएँ एवं अनुभव)</u> :–

<u>पद क्रम संख्या 61 के लिए योग्यताएँ</u> :– (i) एम.सीएच.(न्यूरोसर्जरी)

<u>पद क्रम संख्या 62 के लिए योग्यताएँ</u> :– (i) एम.सीएच.(पेडियाट्रिक सर्जरी)

<u>पद क्रम संख्या 61 व 62 के लिए द्वितीय योग्यता एवं अनुभव</u> :–

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।

(iii) **अनुभवः**–मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोंस्ट्रेटर/ट्यूटर

के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव परन्तु जिन्होंने दो वर्षीय एम.सीएच. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, के लिए अध्यापन अनुभव दो वर्ष का होगा।

पद क्रम संख्या 63 के लिए योग्यताएँ:–(i) डी. एम. (एण्डोक्रायनोलोजी)/एम.डी. (मेडिसिन) अथवा एम. डी. (पेडियाट्रिक्स) साथ एण्डोक्रायनोलोजी में दो वर्ष की विशेष ट्रेनिंग।

पद क्रम संख्या 64 के लिए योग्यताएँ:–(i) डी.एम.(मेडिकल ओन्कोलोजी)/एम.डी.(मेडिसिन) अथवा एम.डी.(रेडियो थैरापी) अथवा एम.डी.(पेडियाट्रिक्स) साथ मेडिकल ओन्कोलोजी में दो वर्ष की विशेष ट्रेनिंग।

पद क्रम संख्या 63 व 64 के लिए द्वितीय योग्यता एवं अनुभव :–

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।

(iii) **अनुभव** :– मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमोंस्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

पद क्रम संख्या 65 के लिए योग्यताएँ :– (i) एम.डी.(बैक्टिरियोलोजी)/एम.डी.(माइक्रोबायोलोजी)/एम.बी.बी.एस. साथ एम. एससी.(मेडि. बैक्टिरियोलोजी)/एम.एससी.(मेडि.माइक्रोबायोलोजी)/पीएच.डी. (मेडि.बैक्टिरियोलोजी) /एम.एससी. (मेडि. बैक्टि.) साथ पीएच.डी. (मेडि. बैक्टिरियोलोजी)/एम.एससी. (मेडि. बैक्टिरियोलोजी) साथ डी.एससी. (मेडि. बैक्टिरियोलोजी)/एम.एससी. (मेडि. माइक्रोबायोलोजी) साथ पीएच.डी. (मेडि.माइक्रोबायोलोजी) /एम.एससी. (मेडि. माइक्रोबायोलोजी) साथ डी.एससी. (मेडि. माइक्रोबायोलोजी)।

पद क्रम संख्या 66 के लिए योग्यताएँ :– (i) एम.डी.(मेडिसिन)/एम.डी.(जनरल मेडिसिन)।

पद क्रम संख्या 67 के लिए योग्यताएँ :– (i) एम.एस.(आर्थोपेडिक्स)।

पद क्रम संख्या 68 के लिए योग्यताएँ :– (i) एम.डी.(एनेस्थेसियोलोजी)/एम.एस.(एनेस्थेसियोलोजी)।

पद क्रम संख्या 69 के लिये योग्यताएँ :– (i) एम.डी. (फिजियोलोजी)/एम.बी.बी.एस. विद एम.एससी. (फिजियोलोजी)/ एम.एससी. (मेडि. फिजियोलोजी) विद पीएच.डी. (मेडि.फिजियोलोजी)/ एम.एससी. (मेडि. फिजियोलोजी) विद डी.एससी.(मेडि. फिजियोलोजी)।

पद क्रम संख्या 70 के लिये योग्यताएँ :– (i) एम.एस. (ओटो–राइनो–लेरिंगोलोजी)।

पद क्रम संख्या 71 के लिए योग्यताएँ :– (i) एम.एस.(ऑप्थलमोलोजी)/एम.डी.(ऑप्थलमोलोजी)।

पद क्रम संख्या 72 के लिए योग्यताएँ :–(i) एम.डी.(फार्माकोलोजी)/एम.बी.बी.एस. साथ पीएच.डी. (मेडि.फार्माकोलोजी)/ एम. एससी. (मेडि. फार्माकोलोजी) साथ पीएच.डी. (मेडि. फार्माकोलोजी)/एम.एससी. (मेडि. फार्माकोलोजी) साथ डी एससी. (मेडि. फार्माकोलोजी)।

पद क्रम संख्या 73 के लिए योग्यताएँ :– (i) एम.डी.(पी.एम.आर.)/एम.डी. (मेडिसिन) साथ पीएमआर में डिप्लोमा/एम. एस.(जनरल सर्जरी)/एम.एस. (आर्थोपेडिक्स) साथ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन (रिहेबिलिटेशन मेडिसिन) की विशेषज्ञता में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण अथवा भारत के किसी अनुमोदित संस्थान में विषय में अनुमोदित दो वर्ष का समकक्ष प्रशिक्षण।

पद क्रम संख्या 65 से 73 तक के पदों हेतु द्वितीय योग्यता एवं अनुभव :–

(ii) संबंधित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड पोस्ट ग्रेज्युऐट क्वालीफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।

(iii) **अनुभव** :–मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

समस्त पदों की योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक नोटः–

आवेदकों को सम्बन्धित विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्य अपेक्षित स्नातकोत्तर/ विशेषज्ञतामें योग्यताएँ अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएँ प्राप्त होनी चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।

समस्त पदों की योग्यताओं के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा कि :–

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरणः– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे आवेदक **Application Form** के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन के कॉलम में दर्शाये **"App."** गोले की पूर्ति करें अन्यथा आवेदक का **Application Form** प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3 आयु :–दिनांक 01–01–2011 को 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए सिवाय डी.एम./एम.सीएच न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी लेकिन ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :–

''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''

स्पष्टीकरण :–

(i) आयोग द्वारा वर्ष 2005–06 में **सहायक आचार्य–मेडिकल ओंकोलोजी, माइक्रोबॉयोलोजी, जनरल मेडिसिन एवं अस्थिरोग (ऑर्थोपेडिक्स)** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2007 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2011 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) आयोग द्वारा वर्ष 2008 में **सहायक आचार्य– शिशु शल्य (पेडियाट्रिक सर्जरी), फिजियोलाजी, ऑप्थलमोलोजी (नेत्ररोग), निश्चेतन (एनेस्थेसियोलोजी), एण्डोक्रायनोलोजी, न्यूरो सर्जरी एवं ओटो–राइनो–लेरिंगोलोजी (नाक, कान व गला)** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2009 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2011 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

(iii) आयोग द्वारा वर्ष 2002 में **सहायक आचार्य– फार्माकोलोजी एवं फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2003 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2011 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है।

(3) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में आरक्षित पदों के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगीः–

(I) **सहायक आचार्य– न्यूरो सर्जरी के पदों के लिए** :– राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(II) **सहायक आचार्य– शिशु शल्य (पेडियाट्रिक सर्जरी), माईक्रोबायोलोजी, ओटो राइनो–लेरिंगोलोजी (नाक,कान गला) एवं फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन के पदों के लिएः**– राजस्थान के अनुसूचित जाति के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(III) **सहायक आचार्य– जनरल मेडिसिन के पदों के लिए** :–**(i)** सामान्य वर्ग की महिला, राजस्थान के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरूष व महिला तथा पिछड़ा वर्ग के पुरूष को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। **(ii)** राजस्थान की पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(IV) **सहायक आचार्य– अस्थि रोग (आर्थोपेडिक्स) एवं नेत्ररोग (ऑप्थलमोलोजी) के पदों के लिए** :–सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी, राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के पुरूष व महिला को 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(V) **सहायक आचार्य– निश्चेतन (एनेस्थेसियोलोजी) के पदों के लिए** :– राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के पुरूष व महिला को 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(VI) **सहायक आचार्य– फिजियोलोजी के पदों के लिए** :– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के पुरूष व महिला को 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(4) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जाएंगे।

(5) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

(6) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा जहां पद के लिये न्यूनतम अर्हता डी.एम./एम.सीएच. अपेक्षित है, के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(7) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।

(8) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(9) राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार इन पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा में इस प्रकार से छूट दी जावेगी :–

(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष,

(ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोटः– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान :– समस्त पदों हेतुः– रनिंग पे बेण्ड–3 (15600–39100) ग्रेड पे सं.17 (रू. 6600/–)।

''ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। **कार्य :** शिक्षण एवं चिकित्सकीय कार्य।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार। **मुख्यालय :** राजस्थान राज्य के किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में।

पेंशन :– दिनांक 01–01–2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. आवेदन–पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांकः– आवेदन–पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक **31.12.10 (31 दिसम्बर, 2010)** सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन –पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

प्रेषण : O.M.R.Application Form भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें। एक लिफाफे में एक ही **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** भेजा जावे। एक लिफाफे में एक से अधिक

<u>O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र</u> भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी **<u>O.M.R. Application Form</u> एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** को प्रथम दृष्ट्या पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

<u>आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन–पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन–पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन–पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो</u>।

5. **<u>संवीक्षा परीक्षा का स्थान एवं योजना</u> :–**

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा अजमेर (कोड सं.–1) में आयोजित कराये जाने की सम्भावना है। अतः आवेदक अजमेर जिले का कोड नम्बर O.M.R. Application Form के कॉलम सं0 8 में भरे। **संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।**

<u>आयोग के विवेकानुसार इन पदों की संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type) से ली जावेगी ।</u>

6. **<u>आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क</u> :–**

पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित **O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** का मूल्य मय परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा :–

(क) सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु रूपये 300/– (परीक्षा शुल्क रूपये 200/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–)

(ख) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु रूपये 200/–(परीक्षा शुल्क रूपये 100/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–)

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु रूपये 100/– (इन वर्गों के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल **O.M.R.Application Form** का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–लिया जा रहा है।)

<u>नोट</u> :–

(1) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा। ऐसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

7. **<u>आवेदन कैसे करें</u> :–**

1. आवेदक **<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के कॉउन्टर/स्वागतकक्ष से दिनांक 30.11.2010 से</u>** आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र नकद भुगतान पर क्रय कर** आवेदन कर सकते हैं ।
2. **<u>आवेदन–पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन–पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें</u>।** आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन–पत्र क्रय कर आवेदन करें। यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के **O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।
3. यदि आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से डाक के माध्यम से निर्धारित आवेदन–पत्र मंगवाना चाहता है तो आवेदन–पत्र प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व अपने वर्गानुसार मांग पत्र मय भारतीय पोस्टल आर्डर्स निम्नानुसार भेजकर मंगवाये जा सकते हैं :–

(क) सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु रूपये 350/–(परीक्षा शुल्क रूपये 200/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–+ डाक व्यय रूपये 50/–)

(ख) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 250/–(परीक्षा शुल्क रूपये 100/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/– + डाक व्यय रूपये 50/–)

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु रूपये 150/– (इन वर्गों के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/– + डाक व्यय रूपये 50/– लिया जा रहा है।)

<u>नोट</u> :– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

8. **<u>अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में</u>** :– सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने आवेदन–पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। जो आवेदक पहले से कार्यरत हैं उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति

हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

9. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता** :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–

   परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथासमय वांछनीय होगा।
5. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित **(Debar)** किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित **(Debar)** होने की अवधि आवेदन–पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

10. **अनुचित साधनों की रोकथाम** :– परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित **"Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/attempting to use unfairmeans during the course of examination"** के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।

11. **श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा** :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा **श्रुत लेखक** की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

12. **कृपया ध्यान दें** :–

i. लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम का अवश्य उल्लेख करें।

ii. आवेदक को **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र दोनों ही** भरकर आयोग कार्यालय को भेजना आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा इन दोनों में से कोई एक सामग्री यथा–**O.M.R. Application Form या विस्तृत आवेदन–पत्र** भरकर भेजा जाता हैं तो ऐसे आवेदक के प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

iii. विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित O.M.R. Application Form ही भरना चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ–साथ उन्हें पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आयोग द्वारा स्वतः ही मान लिया जावेगा।

iv. आवेदक एक से अधिक **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** भरकर नहीं भेजें।

v. आवेदक श्रेणीवार तय किये गये **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन–पत्र खरीद कर ही आवेदन करें। गलत श्रेणी का आवेदन–पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

vi. आवेदक **O.M.R. Application Form** के → कॉलम व O गोले भरने हेतु **केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें** ।

vii. आवेदक आयोग को आवेदन–पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स → में की गई प्रविष्टियाँ एवं नीचे भरे गये गोले O एक समान हैं। गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन–पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोले में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। अधूरा भरा **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

viii. O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है तथा घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हस्ताक्षरयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ix. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन, **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि **O.M.R. Application Form** में भरी गई सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः पढ़ी जावेगी जिसके आधार पर ही आयोग द्वारा आवेदकों को अस्थाई **(Provisional)** प्रवेश दिया जावेगा ।

x. आयोग कार्यालय द्वारा **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत**

आवेदन–पत्र में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा।

xi. विज्ञापित पदों के विरूद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। आवेदकों से विस्तृत आवेदन–पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

xii. O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ अपने समस्त प्रकार के प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें ताकि पात्रता ऑकते समय कोई कठिनाई ना हो।

13. **प्रमाण पत्रों का सत्यापन :–** आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ भेजना आवश्यक है अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :–

(अ) जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण–पत्र **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** के साथ संलगन भेजना आवश्यक है। अन्य अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जावेगा।

(द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** पर आवेदन करना होगा।

(य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार माता–पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार माता–पिता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिह्नित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये ।

<u>नोट</u> :– आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम **(Provisional)** रूप से प्रवेश दिया जायेगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश–पत्र/साक्षात्कार–पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

<u>आयोग की वेबसाइटः–</u>

उम्मीद्वार आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145–5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

<u>विशेष टिप्पणी :–</u>

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आवें। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित् नहीं की जा सकती है।

(5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(6) आयोग को आवेदन–पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :–
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026.

(के.के. पाठक)
सचिव